डा0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 15.11.2010 को जिला नजारत प्रशाखा का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी।

1. प्रस्तावना :–

पश्चिम चम्पारण जिला का **सृजन दिनांक 08.11.1972** को हुआ और तब से यह जिला नजारत कार्यरत है। जिला नजारत शाखा समाहरणालय भवन के निचले तल पर पश्चिमी भाग में अवस्थित है।

2. प्रभार :–

श्री अतुल कुमार वर्मा, वरीय उप समाहर्त्ता बेतिया दिनांक 08.01.2010 से जिला नजारत प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी हैं। इनके पूर्व दिनांक **19.03.2009 से 08.01.2010 तक श्री प्रियरंजन सिन्हा** इस प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी थे।

3. स्टाफ की स्थिति:–

श्री रोहिण कुमार श्रीवास्तव दिनांक 16.09.2009 से, जिला नाजीर के प्रभार में हैं। श्री समीर कुमार वर्मा, **सहायक** नाजीर के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व श्री अरविन्द कुमार वर्मा दिनांक **01.02.2002 से 15.09.2009** तक जिला नाजीर के प्रभार में थे।

इस प्रशाखा में प्रक्रिया पालक अनुसेवक का पद सृजित नहीं है। अनुमण्डलीय नजारत, बेतिया सदर से 1. श्री काशीनाथ प्रसाद 2. श्री रामेश्वर प्रसाद एवं 3. श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, प्रक्रिया पालक की प्रतिनियुक्ति इस प्रशाखा में की गई है, जिनसे न्यायालय के नोटिश का तामिला कराने का कार्य लिया जाता है। इसके अतिरिक्त नजारत शाखा में 1.श्री मोतीलाल 2.श्री रामाशंकर प्रसाद 3. श्री अशोक राउत अनुसेवक प्रतिनियुक्त हैं।

4. परिसदन भवन :–

श्री समीर कुमार वर्मा, सहायक नाजीर, परिसदन भवन के केयरटेकर के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में परिसदन भवन हेतु निम्नांकित कर्मचारी के पद की स्वीकृति सरकार से प्राप्त है तथा निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत हैं :–

बेतिया परिसदन में स्टाफ का पदबल निम्न प्रकार है :–

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	खानसामा	01	01	—
2	माली	01	—	1
3	चौकीदार	01	—	1
4	झाडूकश	01	01	—

खानसामा के पद पर श्री **अमर प्रसाद** एवं **झाडूकश** के पद पर **श्री हिरालाल राउत** पदस्थापित हैं।

5. <u>नोटिश पंजी :–</u>

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। इसमें सभी प्रकार के आदेशिकाओं (नोटिश) की प्रविष्टियाँ की गई है। पंजी के अनुसार विगत दो वर्षों एवं चालू वर्ष में नोटिश तामिला की स्थिति निम्नवत है :–

वर्ष	प्राप्त नोटिश	पूर्ण रूपेण तामिला	अपूर्ण तामिला	वापसी
2009–10	2174	1952	69	153
2010–11 (अक्टूबर)				

नोटिश तामिला की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। पृच्छा करने पर प्रक्रिया पालकों ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन के विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त होने के कारण नोटिश लंबित है। निदेश दिया गया कि दो दिन के अंदर सभी आदेशिकाओं (नोटिश) निर्धारित तिथि के पूर्व सम्बंधित शाखा / व्यक्ति / न्यायालय में तामिला कराया जाय।

6. <u>भण्डार पंजी :–</u>

नजारत प्रशाखा में जिला नाजीर द्वारा दो भण्डार पंजी संधारित किया गया 1. स्थायी एवं 2. अस्थायी। साथ हीं परिसदन में उपभोग वस्तुओं के लिए अलग भण्डार पंजी को संधारित किया गया है, जो हस्तलिखित प्रपत्र में है। भण्डार पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निर्गत सामानों को भण्डार पंजी में पावती नहीं कराकर अभिश्रव पर ही प्राप्त कराया जाता है, जो नियम के प्रतिकूल है। जिला नाजीर ने स्पष्ट किया कि पूर्व से ही ऐसी परम्परा चली आ रही है। पंजी के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि भण्डार पंजी अद्यतन नहीं है एवं क्रय किये गये सामानों की प्रविष्टि नहीं की गई है। <u>निदेश दिया गया कि **24** घण्टा के अन्दर क्रय किये गये सामानों की प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाय।</u>

7. <u>ग्राम माप चित्रों की भण्डार पंजी :–</u>

यह भण्डार पंजी इस जिले के तीन राजस्व थाना यथा–बेतिया, बगहा, नरकटियागंज के लिए अलग–अलग संधारित है। इसके अतिरिक्त बेतिया नगर पालिका क्षेत्र एवं अंचल के लिए अलग से पंजी संधारित है।

8. <u>नाजीर रसीद बही भण्डार पंजी :–</u>

यह पंजी हस्तलिखित प्रपत्र में संधारित है तथा अद्यतन प्रविष्टि अंकित है। वर्तमान में **2010–11** हेतु **नाजीर रसीद संख्या 868851 से 888900** तक उपयोग में लाया जा रहा है। जिसमें नाजीर रसीद संख्या **86885100** का उपयोग किया जा चुका है। एम0 आर0 कोषागार से निकासी की जाती है। नाजीर रसीद स्टॉक में शून्य है। यह पंजी अत्यन्त ही पुरानी हो चुकी

है। जिला नाजीर को निदेश दिया गया कि नियमानुकूल पंजी बदलने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही स्पष्ट करें कि इस साल कितना नाजीर रसीद कटा है ?

9. वाहनों का रख–रखाव :–

नजारत में निम्नलिखित वाहनों का रख–रखाव का कार्य होता है :–

01. बी0आर0 22 बी0 :– 0009
02. बी0आर0 22 ए0 :– 7572
03. बी0आर0 22 बी0 :– 0065
04. बी0आर0 22 पी0 :– 801
05. बी0आर0 22 पी0 :– 0004
06. बी0आर0 22 डी0 :– 0001
07. बी0आर0 22 डी0 :– 0009
08. बी0आर0 22 ए0 :– 0066
09. एम0आर0बी0 :– 406

- वाहनों के रख–रखाव एवं ईंधन मद में विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय किया गया है, संचिका के माध्यन से उपस्थापित करें।
- पुराने एम्बेस्टर कार को ऑक्शन की कार्रवाई की जाए।
- सभी वाहनों का इतिहास पंजी तैयार कर सुरक्षित रखा जाए, जिस–जिस वाहनों का मरम्मति होती है।
- अंचल/प्रखण्ड के वाहनों की रद्दीकरण की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। वाहनों का इतिहास बुक मंगाकर जांच कर लिया जाए, अन्यथा पुराने वाहन सड़ जायेंगे।

10. चेक बुक पंजी :–

जिला नाजीर द्वारा बताया गया कि चेकबुक पंजी संधारित है। पंजी अद्यतन रखने का निदेश दिया गया।

11. रोकड़ पंजी :–

इस प्रशाखा में रोकड़ पंजी संधारण हेतु **एक सामान्य पंजी** एवं **सभी शीर्ष** के लिए **सहायक रोकड़ पंजी** संधारित है। सामान्य पंजी के अनुसार दिनांक **14.11..2010 तक रोकड़** की स्थिति निम्न प्रकार है :–

01. अभिश्रव	:–	84,95,933.74
02. अग्रिम	:–	8,20,69,632.50
03. खाता संख्या 11115899416	:–	70,91,129.71

04. खाता संख्या 11115899642	:–	76,24,434.46
05. खाता संख्या 11115899788	:–	3,02,249.70
06. एक ताला में	:–	3,02,249.70
कुल योग	:–	10,56,14,672.06

- उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट होता है कि अभिश्रव एवं अग्रिम के रूप में बहुत ही अधिक राशि सन्निहित है। निरीक्षण के क्रम में यह बताया गया कि आवंटन के अभाव में विचलन द्वारा राशि का व्यय किया गया है। विगत कई वर्षों से सरकार द्वारा बहुत अल्प मात्रा में आवंटन प्राप्त होते रहे हैं, जिसके कारण अभिश्रव समायोजन हेतु लंबित पड़े हुए हैं।
- अग्रिम के रूप में **मो0 8,20,69,632.50 रूपये** की राशि समायोजन हेतु लंबित दर्शायी गई है, जो बहुत ही अधिक है। बताया गया कि अधिकांश राशि सहाय्य से सम्बंधित है। राशि समायोजन हेतु अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- जिला नाजीर द्वारा **कर्मियों के पास अग्रिम बकाया होने की बात कही गयी।** पृच्छा की गयी कि **क्या वसूली की कुछ कार्रवाई 9–10 महीने में किया गया है** अगर नहीं तो **कारण क्या है ?** निदेश दिया गया कि अग्रिम वसूली की कार्रवाई प्रत्येक दिन करना सुनिश्चित करें तथा **10 दिनों के अन्दर अग्रिम बही के प्रत्येक बिन्दु पर कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें।**
- जिला नाजीर द्वारा बताया गया कि जिला नजारत उपसमाहर्ता के पदनाम से भी एक बैंक एकाउन्ट संधारित है। जिला नाजीर को निदेश दिया गया कि किस आदेश से बैंक एकाउन्ट नजारत उप समाहर्त्ता के नाम से खोला गया है। आदेश पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

12. अभिश्रव :–

अभिश्रव के रूप में मो0 **84,95,933.74 रूपये** की राशि समायोजन हेतु लंबित है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन

01.	कार्यालय व्यय	:–	18,00,255.04
02.	ईंधन एवं रख रखाव	:–	28,37,112.19
03.	मजदूरी	:–	14,21,571.32
04.	विद्युत	:–	2,65,754.91
05.	दूरभाष	:–	18,427.00

06.	वर्दी	:–	19,851.60
07.	सामग्री आपूर्ति	:–	2,975.00
08.	20–सूत्री कार्यक्रम	:–	88,585.55

शीर्ष 2029 भू–राजस्व

01.	कार्यालय व्यय	:–	1,25,545.60
02.	ईंधन एवं रख–रखाव	:–	3,20,232.30

3456 आपूर्ति

01.	कार्यालय व्यय	:–	2,48,735.89

शीर्ष 2041 टैक्सेज परिवहन

01.	2041 टैक्सेज	:–	52,293.17

शीर्ष 2245 सहाय्य

01.	कार्यालय व्यय	:–	36,0849.88

शीर्ष 2070 परिसदन

01.	सामग्री आपूर्ति	:–	2,73,675.79
02.	विद्युत	:–	47,437.89
03.	दूरभाष	:–	80,490.00

शीर्ष 2052 टेली प्रिंटर

01.	2052 टेली प्रिंटर	:–	57,612.38

शीर्ष 2065 गणतंत्र दिवस

01.	2065 गणतंत्र दिवस	:–	3,141.75

शीर्ष 2014 न्याय

01.	कार्यालय व्यय	:–	3,82,811.87

पत्राचार के अन्तर्गत

01.	विविध व्यय	:–	30,100.61

शीर्ष 3454 जनगणना

01.	कार्यालय व्यय	:–	58,474.00
	कुल योग :–		84,95,933.74

- अभिश्रव एवं अग्रिम में एक बहुत बड़ी राशि का समायोजन नहीं हो सका है। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से असमायोजित राशि की निकासी कर यथाशीघ्र समायोजित करना सुनिश्चित करें। साथ हीं प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा से अग्रिम की राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करें।

10. सहायक रोकड़ के संबंध में विवरणी :-

01.	शीर्ष 2053 जिला प्रशासन	:-	15,41,401.23
02.	शीर्ष 2029 भू-राजस्व	:-	16,21,131.00
03.	शीर्ष 3456 आपूर्ति	:-	32,41,379.77
04.	शीर्ष 2015 निर्वाचन	:-	65,57,767.77
05.	इण्डोनेपाल	:-	6,01,567,53
06.	सूद की राशि	:-	27,57,236.45
07.	2015 निर्वाचन निकाय	:-	2,57,985.24
08.	शीर्ष 2515 पंचायत	:-	1,42,706.75
09.	शीर्ष नेत्र ज्योति	:-	74,370.15
10.	शीर्ष 2070 परिसदन	:-	26,854.26
11.	शीर्ष 2014 पंचायत	:-	22,995.75
12.	शीर्ष सूचना अधिकार	:-	12,222.00
13.	शीर्ष लेखन सामग्री	:-	3,840.00
14.	शीर्ष स्थाई अग्रिम	:-	500.00
15.	शीर्ष 2245 सहाय्य	:-	8,51,07,503.71
16.	शीर्ष पशुधन जनगणना	:-	5,17,462.00
17.	शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा	:-	5,52,378.00
18.	शीर्ष 2205 कला संस्कृति	:-	4,70,252.00
19.	शीर्ष बुनियादी विद्यालय	:-	3,00,000.00
20.	शीर्ष 2204 खेल कूद	:-	5,79,213.00
21.	शीर्ष 4047 अन्य सम्पोषित	:-	शून्य
22.	शीर्ष राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा	:-	1,00,000.00
23.	शीर्ष 2014 न्याय पुलिस	:-	44,086.45
24.	2055 पुलिस	:-	3,00,267.00
25.	शीर्ष 2029 भू0रा0कम्प्यूटर	:-	16,371.00
26.	शीर्ष विसवान	:-	1,00,000.00
27.	आई0टी0पदाधिकारी	:-	2,15,806.00
28.	शीर्ष बिहार राज्य खेल प्राधिकार	:-	4,49,375.00
	कुल		10,56,14,672.06

- सहायक रोकड़ पंजी में वर्षों से पड़ी अव्यवहृत राशि का आदेश प्राप्त कर नियमानुकूल ढंग से कोषागार में जमा करने की कार्रवाई की जाए।
- 2015 निर्वाचन एवं 2515 पंचायत शीर्ष की राशि के आवंटन पत्र एवं राशि का चेक तैयार कर संबंधित प्रशाखा के बैंक एकाउन्ट में भेजा जाए।
- बैंक से प्राप्त सूद मद की राशि अलग से दर्शाया गया है। निदेश दिया गया कि जिस शीर्ष की राशि से सूद प्राप्त हुआ है, उसी शीर्ष में उसे संधारित किया जाए।
- यह भी निदेश दिया गया कि रोकड़ बही का सत्यापन प्रतिदिन किया जाए।

13. अंकेक्षण :–

जिला नजारत प्रशाखा का अंकेक्षण **वर्ष 2009–10 तक महालेखाकार, बिहार, पटना के अंकेक्षण दल** द्वारा सम्पन्न किया जा चुका है। निदेश दिया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में जिन–जिन विन्दुओं पर आपत्ति दर्ज की गयी है, का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन भेजा जाए। बताया गया

14. आवंटन शीर्षवार (वर्ष 2010–11) :–

क्र.	शीर्ष	आवंटन प्राप्त होने का पत्रांक एवं दिनांक	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय आवंटन	शेष आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1-	2053 जिला प्रशासन	298/Est. 17.05.2010	कार्यालय व्यय	2200000.00	370860.00	**1829140.00**
		425/Est. 17.07.2010	वाहन, ईंधन एवं रख रखाव	1525000.00	524923.00	**1000077.00**
		630/Est. 06.11.2010	दूरभाष	150000.00	0.00	**150000.00**
			विद्युत	375000.00	0.00	**375000.00**
			वर्दी	90000.00	0.00	**90000.00**
			सामग्री आपूर्ति	100000.00	0.00	**100000.00**
			व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	740000.00	145696.00	**594304.00**
			अतिथि व्यय	125000.00	0.00	**125000.00**
			किराया महसूर एवं अन्य	80000.00	0.00	**80000.00**
			कॉन्फ्रेन्स कार्यशाला	57000.00	0.00	**57000.00**
2	2029 भू–राजस्व		कार्यालय व्यय	180000.00	0.00	**180000.00**
			वाहन, ईंधन एवं रख रखाव	111000.00	0.00	**111000.00**
			दूरभाष	80000.00	0.00	**80000.00**
			विद्युत	60000.00	0.00	**60000.00**
			वर्दी	20500.00	0.00	**20500.00**
3	2070 परिसदन भवन	299/Est. dated 17.05.2010	कार्यालय व्यय	33000.00	0.00	**33000.00**

		463/Est dated 25.10.2010	दूरभाष	10000.00	0.00	**10000.00**
			विद्युत	45000.00	0.00	**45000.00**
			वर्दी	8500.00	1940.00	**6560.00**
			सामग्री आपूर्ति	600000.00	296762.00	**303238.00**
			व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं	32000.00	0.00	**32000.00**
4	3456 आपूर्ति	425, dated 21.05.2010	कार्यालय व्यय	20000.00	0.00	**20000.00**
			वर्दी	2500.00	1940.00	**560.00**
			विद्युत	6000.00	0.00	**6000.00**
5-	2245 आपदा	63/Relief, dated 23.05.2010	कार्यालय व्यय	15000.00	0.00	**15000.00**
			वर्दी	1500.00	0.00	**1500.00**
6	3454 जनगणना	dated 13.07.2010	कार्यालय व्यय	112000.00	56777.00	**55223.00**
7	2055 पुलिस अर्द्धसैनिक बल	3.09.2010	कार्यालय व्यय	1529846.00	1529846.00	**0.00**
		15.09.2010	वाहन, ईंधन एवं रख रखाव	3954141.00	3954141.00	**0.00**
		05.10.2010				

15. लेखन सामग्रीः—

क्या—क्या सामग्री की आवश्यकता है ? अच्छी गुणवत्ता के सामग्री के क्रय की प्रक्रिया अपनाकर समाचार पत्र में निविदा निकलवा लिया जाए।

16. साफ—सफाई :—

समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं के साफ—सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

17. फ्लाईलीफ :—

प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला नजारत शाखा के लिए अलग रंग की फ्लाईलीफ छपाई हेतु चयन किया गया है। अतः छपाई हेतु अनुक्रमणिका, विषय, प्राथमिकता संबंधी सूची जिला स्थापना को उपलब्ध करावें।

18. समाहरणालय भवन :—

समाहरणालय भवन को तीन मंजिला निर्माण का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया से तैयार कराने का निदेश दिया गया।

20.12.2010

(बी० राजेन्दर)
समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 21–5/2010– 2325 /गो0 दिनांक 21/12/10

प्रतिलिपि– अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया /जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि– नाजीर/सहायक नाजीर, जिला नजारत, बेतिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Rajendra 20.12.2010

(बी0 राजेन्दर)
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 21–5/2010– 2325 /गो0 दिनांक 21/12/10

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 20.12.2010

(बी0 राजेन्दर)
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।